सूचना पत्र/नोटिस

न्यायालय नियत प्राधिकारी(सीलिंग)/अपर जिलाधिकारी(प्रशा0),देहरादून

प्रकीर्ण वाद संख्या– 15 /21–22

मौजा– रायपुर, चकरायपुर,
लाड़पुर,नथनपुर
तहसील– देहरादून सदर
धारा–विविध/6(2)ग्रा0सी0

सरकार बनाम कुमुद्य वैध आदि वारिस मृतक (कुमारी पदमा कुमारी)

1. **श्रीमती कुमुद वैद्य पत्नी श्री दीपक वैद्य निवासी ग्राम अधोईवाला तहसील व जिला देहरादून।**
2. **श्री कमल प्रसाद पुत्र श्री कर्नल कान्ता प्रसाद निवासी ग्राम अधोईवाला तहसील व जिला देहरादून।**

चूंकि मेरा समाधान हो गया कि आपने उ0प्र0 जोत सीमा रोपण अधिनियम 1960 की धारा–6(2) का उल्लंघन कर बिना उत्तराखण्ड शासन की पूर्व अनुमति के बिना नोटिस के साथ संलग्न सूची के अनुसार ग्राम रायपुर, चकरायपुर, लाड़पुर, नथनपुर परगना परवादून तहसील व जिला देहरादून का कय–विकय किया है जो विकय के दिनांक से ही शून्य है और धारा 6(2) के अन्तर्गत 10 अक्टूबर 1975 से अतिरिक्त भूमि घोषित समझी गई क्योंकि कय–विक्रय से पूर्व यह भूमि चाय बगीचे का भाग थी और भूमि सभी भार बन्धनों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निधित हो चुकी है। उक्त भूमि का कब्जा तुरन्त राज्य सरकार को दिलाया जाना है ।

एतदद्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आप दिनांक 25.07.2022 को प्रातः 11:00 बजे स्वंय या किसी अधिकृत अधिवक्ता के द्वारा इस न्यायालय में उपस्थित होकर राज्य सरकार की पूर्व अनुमति बिना कय –विकय करने के संबंध में अपना लिखित स्पष्टीकरण दे कि क्यूँ न विवादित भूमि का आधिपत्य धारा 6(3) के अन्तर्गत बलपूर्वक राज्य सरकार द्वारा प्राप्त कर लिया जाये।

मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा अंकित कर आज दिनांक 15.07.2022 को जारी किया जा रहा है।

(डॉ0 शिव कुमार बरनवाल)
अपर कलक्टर (प्र0)
देहरादून।

प्रतिलिपिः

1. श्री विकेश सिंह नेगी एडवोकेट चैम्बर न0 01 ए निकट शहीद समारक, सिविल कोर्ट कम्पाउण्ड देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि उनके द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में उक्त प्रकरण के संबंध में दायर जनहित याचिका संख्या 88/2022 पी0आई0एल0 के कम में आपके पास जो भी तथ्य उपलब्ध हैं, उनके संबंध में अवगत कराने का कष्ट करें।

अपर कलक्टर (प्र0)
देहरादून।

CS CamScanner